...यालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.170 / 2019 दिनांक 13.1.2020

सरकार बनाम हरफूल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा कोटपूतली के ख0 न0 389 / 0.13 है0 किस्म बारानी–1 मेंसे 0.01 है0पर हरफूल यादव पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने पक्का निर्माण सरसों कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि मैने मरी खरीद शुदा भूमि पर ही निर्माण किया है तथा उसी पर कास्त करता आ रहा हूँ मेरे द्वार सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है अतः कार्यवाही ड्राप की जावे।गैर सायलान द्वारा कोई साक्ष्य , दस्तावेज पेश नहीं किये। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है तथा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट होता है कि गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल हरफूल यादव पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 389 / 0.13है0 ,किस्म सिवायचक मे से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बनाये गये पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जाकर तथा बोई फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 3रू. का पचास गुणा 150रू अर्थ दण्ड के रूप

Scanned by CamScanner

में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी व बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 13.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय[illegible]

[illegible] ...... के रा० ल० [illegible]
पृष्ठ संख्या 13 .. पर .. 15.2.25
[illegible] किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली